UPGB010072912026

न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 3030 सन् 2026

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश **प्रति** उ0प्र0 सरकार।

आदेश / 14.08.2026

1. आवेदक / अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार द्वारा मु0अ0सं0 299 सन् 2026, अंतर्गत धारा 108, 115(2), 351(3), 352 भा0न्याय0सं0, थाना–बिसरख, जिला–गौतमबुद्धनगर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा पुरूषोत्तम यादव दीपू द्वारा दिनांक 12.05.2026 को समय 08:01 बजे थाना–बिसरख, जिला–गौतमबुद्धनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि मैं प्रार्थी पुरुषोत्तम यादव (दीपू) पुत्र श्री नकुल प्रसाद, निवासी आलमपुर कछी दरगाह नदी थाना, जिला पटना, बिहार 803201 का निवासी हूँ। मेरी बहन सुलेखा कुमारी, उम्र लगभग 41 वर्ष की शादी वर्ष 2011 में धर्मेंद्र यादव उर्फ पप्पू यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी रामलखन पथ, थाना कंकड़बाग, जिला पटना, बिहार के साथ हिंदू रीति–रिवाज से हुई थी। वर्तमान में मेरी बहन अपने पति धर्मेंद्र यादव एवं दो बेटों आदर्श कुमार (उम्र 13 वर्ष) तथा माधव (उम्र 8 वर्ष) के साथ अम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी, फ्लैट नंबर सी–3 / 101, थाना बिसरख थाना क्षेत्र में रह रही थी रहती थी। मेरे जीजा का उसी सोसाइटी में फ्लैट नंबर बी–4 / 1601 भी है। शादी के बाद से ही मेरी बहन को उसका पति व ससुराल वाले रुपये–पैसे एवं दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करते रहते थे। हम लोगों ने बहन का घर बचाने के लिए समय–समय उसके पति व ससुरालवालो की मांग पर रुपये भी दिए, लेकिन उनकी मांग लगातार बढती जाती थी, अभी उसका पति धर्मेन्द्र यादव 20 लाख रुपये मांग रहा था। इस संबंध में हम लोगों ने धर्मेंद्र के पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से कई बार बात की तथा अपनी बहन के परिवार को बचाने की गुहार लगाई, परंतु उन्होंने हमारी बात अनसुनी कर दी और उल्टा हमें ही धमकाने लगे और कहा कि अगर बहन का घर बचाना हैं तो रूपये दे दो। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि मेरे जीजा धर्मेंद्र का एक महिला सुनीता कुमारी से अवैध संबंध हैं, जिसका विरोध मेरी बहन लगातार करती थी। इस बात को लेकर धर्मेंद्र एवं उक्त महिला दोनों मेरी बहन को धमकी देते थे कि पैसे का इंतजाम करो और चुपचाप घर में पड़ी रहो, नहीं तो जान से मार देंगे। धर्मेंद्र उस महिला को मेरी बहन के सामने ही अपने फ्लैट पर लेकर आता था, जिससे मेरी बहन मानसिक रूप से बहुत परेशान रहती थी। दिनांक 04.05.2026 को मेरे मोबाईल 79903244945 पर धर्मेंद्र 9334012340 का फोन आया और उसने मेरे साथ गाली–गलौज करना शुरू कर दिया और साथ में वह मेरी बहन के साथ भी गाली–गलौज कर रहा था तथा साथ में मेरी बहन को बेरहमी से मार भी रहा था, जिसकी मैंने रिकर्डिंग कर ली। मारपीट की आवाज ऑडियो रिकर्डिंग में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। दिनांक 05.05.2026 को मेरी बहन ने मुझे फोन किया और बताया कि धर्मेंद्र उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है तथा पिछले 3–4 दिनों से लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा है। जब मैंने धर्मेंद्र से बात की तो उसने फोन पर धमकी दी कि अगर हमने उसे 20 लाख रूपये नहीं दिए तो वह मेरी बहन की हत्या कर देगा। उसने यह धमकी मैसेज के माध्यम से भी दी थी। उसने मुझे मैसेज में अपना मुंडन कराने को तैयार हो जाओ भी लिख कर भेजा था। उसके बाद मैंने धर्मेंद्र के भाई मितलेश से फोन पर बात की और उसे सारी घटना बताई तो उसने हमें आश्वासन

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

दिया कि मामला सुलझा देगा और हमें पटना से नोएडा आने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 06.05.2026 को मितलेश ने हमें फोन पर कहा कि आप लोग आज आ जाइए, जिससे हमें शक हुआ कि हमारी बहन के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। कुछ समय बाद हमें सूचना मिली कि मेरी बहन की मृत्यु हो गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि धर्मेंद्र कुमार यादव उर्फ पप्पू यादव, उसके पिता, भाई मितलेश तथा उक्त महिला सुनीता कुमारी ने मिलकर दहेज की मांग व अवैध सम्बंध के कारन मेरी बहन की हत्या कर दी है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत में यह आधार लिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त मुकदमे से संबंधित कोई अपराध किसी प्रकार का कारित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज उक्त मुकदमे की घटना दिनांक 06.05.2026 की बतायी गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 06 दिनों की देरी से दिनांक 12.05.2026 को दर्ज करायी गयी है, जबकि देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 103(1), 115(2), 351(3) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी थी। थाना हाजा पुलिस द्वारा उक्त आरोपित धाराओं का गठन होना न पाते हुए अब उक्त मुकदमे में धारा 108, 115(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0, 2023 के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त व उक्त मुकदमे की मृतका पति–पत्नी थे और वादी मुकदमा मृतका का भाई है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा द्वारा 20 लाख रूपये की दहेज की माँग करने का झूठा व मनगढंत आरोप लगाया गया है, क्योंकि आवेदक/अभियुक्त व मृतका की शादी को लगभग 15 वर्ष हो चुके थे और इतने लम्बे वैवाहिक जीवन में कभी दहेज की माँग न तो की गई है और न ही इस प्रकार की कोई शिकायत रही है, परन्तु शादी के 15 वर्ष बाद 20 लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की माँग की बात सामने आनी स्वतः ही संदेहास्प्रद प्रतीत होती है। वादी मुकदमा द्वारा आवेदक/अभियुक्त के भाई का भी उक्त मुकदमे में झूठा नाम लिखाया गया था, जबकि आवेदक/अभियुक्त का भाई जनपद जबलपुर, मध्य प्रदेश में नौकरी करता है और आवेदक/अभियुक्त के पिता पटना, बिहार में रहते है, उसके बावजूद भी वादी मुकदमा द्वारा जानबूझकर आवेदक/अभियुक्त व उसके परिजनों को झूठा फंसाने एवं उनको तंग व परेशान करने की मंशा से उक्त झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त की मृतका की आत्महत्या में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही आवेदक/अभियुक्त द्वारा कभी भी मृतका को ऐसे किसी कृत्य के लिये उकसाया है। आवेदक/अभियुक्त या उसके किसी परिजन या अन्य किसी के विरूद्ध मृतका द्वारा कोई सुसाईड नोट नहीं छोडा गया है तथा न ही उक्त घटना की बाबत किसी प्रकार की कोई वीडियो इत्यादि है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा न तो मृतका के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट की है और न ही कोई गाली–गलौंच की है तथा न ही किसी प्रकार की धमकी ही दी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व कालिक आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और इंसुलिन लेता है, आवे. दक/अभियुक्त को कई बार जिला कारागार से भी उपचार हेतु भर्ती कराया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त के दो छोटे–छोटे पुत्र है, जिसमें एक पुत्र–आदर्श कुमार उम्र लगभग 13 वर्ष व एक पुत्र माधव उम्र लगभग 08 वर्ष है, जो पढाई कर रहे है एवं आवे. दक/अभियुक्त के वृद्ध माता–पिता उम्र लगभग 70 वर्ष है, जिनकी देख–रेख, पालन–पोषण एवं भरण–पोषण आदि की जिम्मेदारी आवेदक/अभियुक्त पर ही है, परन्तु आवेदक/अभियुक्त के लम्बे समय से जिला कारागार में निरूद्ध रहने से आवे. दक/अभियुक्त के परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड रहा है और आवे. दक/अभियुक्त के बच्चों के भविष्य पर खतरा बना हुआ है तथा साथ ही आवे. दक/अभियुक्त के स्वास्थ्य पर लगातार दुष्प्रभाव पड रहा है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान कर दी जाये।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. अभियोजन के अनुसार, आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा की बहन के साथ मारपीट करने, गाली गलौंच करने, जान से मारने की धमकी देने व उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा मृतका का पति बताया गया है।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 103(1), 115(2), 351(3) भा0न्याय0सं0 में पंजीकृत करायी गयी थी तथा दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा 108, 352 भा0दं0सं0 की वृद्धि की गयी एवं धारा 103(1) भा0न्याय0सं0 का लोप किया गया।

वादी मुकदमा पुरूषोत्तम यादव उर्फ दीपू द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में स्वयं की बहन सुलेखा कुमारी की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व धर्मेन्द्र यादव के साथ होने, अपनी बहन को पति धर्मेन्द्र यादव व दो बेटों के साथ आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसायटी फ्लैट नंबर सी–3/101, थाना बिसरख क्षेत्र में रहने, शादी के बाद से ही उसकी बहन के पति व ससुरालीजन द्वारा प्रताड़ित करने, उसकी बहन के पति द्वारा 20 लाख रूपये की मांग करने, उसकी बहन के पति का सुनीता नाम की महिला से अवैध संबंध होने, धर्मेन्द्र व सुनीता द्वारा उसकी बहन को जान से मारने की धमकी देने, धर्मेन्द्र द्वारा सुनीता नाम की महिला को उसकी बहन के सामने फ्लैट पर लाने, जिससे उसकी बहन का मानसिक रूप से परेशान रहने, उसकी बहन के साथ गाली गलौंच, मारपीट करने, धर्मेन्द्र यादव व उसके पिता व भाई व सुनीता कुमारी द्वारा मिलकर उसकी बहन की हत्या करने का कथन किया गया है।

मृतका सुलेखा कुमारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण "Death due Asphyxia as result of Antemortem Hanging" अंकित है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 07 चोटें अंकित हैं।

विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकरण की विवेचना अभी शेष है।

अतः इस प्रकार केस की गम्भीरता एवं प्रकृति तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के आधार पर्याप्त नहीं हैं।

<u>आदेश</u>

7. आवेदक/अभियुक्त **धर्मेन्द्र कुमार** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(सुनील कुमार–I)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
जनपद गौतमबुद्धनगर
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 6075)

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.08.14 17:44:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court